न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 01/2019
GCMS No. : 2019/00012

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली | | आसनदास पुत्र श्री बुलचंद सिन्धी मैसर्स शंकर मिष्ठान भण्डार 225 पुलिस लाईन रोड पाली |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 17-7-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित। अतः पत्रावली में अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित था। प्रार्थी दिनांक 21.06.2018 को दौराने गश्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स शंकर मिष्ठान भण्डार पुलिस लाईन रोड पाली पर गया। फर्म पर अप्रार्थी उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। दुकान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दुकान में आमजन को विक्रय हेतु 200 पैक बोतल प्रत्येक पैक बोतल में Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange) रखी हुई थी जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर रूबरू गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कर तैयार किया गया। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएसए एक्ट के तहत ले रहा हूँ। उक्त खाद्य पदार्थ Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange)में से 48 मूल पैक बोतल प्रत्येक में 250 एमएल Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange) वास्ते जांच हेतु 480/–रूपये में क्रय कर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange)को चार भागों में विभाजित किया, जिस पर डी.ओ.कोड व सिरियल नम्बर, नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित किये, जिसको चारों नमुना पैक बोतल पर चिपकाया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–792 अंकित किया एवं नमूने का विवरण दर्ज कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी द्वारा गवाह एवं विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया नमुना नम्बर आर–792 को प्रार्थी स्वंय ने दिनांक 21.06.2018 को सीलबन्द कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाया एवं रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./465/एक्ट/2018/483 दिनांक 02.07.2018 में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान से लिया गया Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange) का नमुना Misbranded & Sub Standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded & Sub Standard Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अप्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत लिखित जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने खाद्य पेय पदार्थ Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange) मां एजेन्सी पाली से जरिये बिल क्रमांक 150 दिनांक 08.05.2018 से खरीद किया था। जिसकी प्रति पत्रावली में सलंग्न है। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रति के संबध में अप्रार्थी को किसी प्रकार से अवगत नही करवाया एवं श्रीमान के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर दिया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी भविष्य में गलती नही करेगा तथा सभी नियमो की पालना करेगा। प्रार्थी को दोषमुक्त कर प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त करावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा अप्रार्थी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध जवाब एवं अभिलेखों का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रस्तुत मां एजेंसी से खरीद बिल की प्रति पेश की जिससे यह स्पष्ट नही होता की प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना पेय पदार्थ उक्त बिल से खरीद किया है बिल में Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange) का कही उल्लेख नही है पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2018 को अप्रार्थी की फर्म से जांच हेतु खाद्य पदार्थ Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–792 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जाचं हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./465/एक्ट/2018 /483 दिनांक 02.07.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–792 को (Misbranded & substandard) मिथ्याछाप एवं अमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा खाद्य पेय Sweetened carbonated beverage (Brand krish orange) Misbranded & Sub-Standard का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी पर 200000/– अक्षरे दो लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 17-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली